फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगानेर

रामसहाय सैनी बनाम सरकार

मुकदमा संख्या / वर्ष धारा 268/… : ________ / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	27/9/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वाद वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री महीपाल सिंह, आर० ए० एस०

वाद संख्या : 268
प्रवेश तिथि : 22/12/2022

उनवान

रामसहाय सैनी पुत्र घासी उम्र-65 वर्ष जाति सैनी निवासी लाडको की ढाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर (राज०)

बनाम — वादी

तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

— प्रतिवादी

वाद बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 92 (क) राज० काश्त अधि० 1955
सपठित धारा 136 राज० भू-राजस्व अधि० 1956

× × × ×

निर्णय

दिनांक: 27/9/2023

वादी ने एक वाद पत्र पेश किया। जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व० श्री घासी पुत्र जगन्नाथ के कब्जे व स्वामित्व की कृषि भूमि ख० न० 4623 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसको वाद पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। घासी का देहान्त वर्ष 2002 मे हो चुका है। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके विधिक उत्तराधिकारी पुत्र वादी, कालूराम, ओमप्रकाश, भंवरलाल एवं गोपाल है। उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति में स्व० घासी के उक्त वारिसो का हक व हिस्सा नियत है इस प्रकार दुरुस्ती का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार कानूनन वादी का है। वादग्रस्त भूमि के गत खसरा नम्बर 1001 का दौराने बन्दोबस्त हाल नवीन खसरा नम्बर 4622 रकबा 0.18, 4623 रकबा 0.07, 4625/4945 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल कित 3 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर बने है। गत खसरा नम्बर 1001 पूर्व में भूमि किस्म बंजड अव्वल सिवाई चक दर्ज थी जिस पर वादी निरन्तर काबिज काश्त सिंचित खेती के उपयोग उपभोग करता रहा है।

— लगातार पेज-2

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

वादी गत खसरा नम्बर 1001 पर निरन्तर काबिज काश्त मे होने के कारण उक्त खसरा नम्बर 1001 को रेगुलाईज करने वादी ने श्रीमान तहसीलदार सांगानेर के समक्ष आवेदन किया जो पत्रावली संख्या 106/1966 दिनांक 21/09/1966 को प्रस्तुत की गई, जिस पर वादी के नाम रेगुलाइज करने का आदेश दिनांक 21/09/1966 को पारित किया जो निम्नलिखित है :-

खसरा नम्बर 1001 रकबा 19 बिस्वा श्री घासी पुत्र श्री जगन्नाथ माली सांगानेर के नाम रेगुलाईज किया जावे और इस नम्बर को घासी की खातेदारी में दर्ज किया जावे सिवायचक खारिज हो और लगान चाही अव्वल 6 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से 5 रुपये 70 पैसे प्रति साल से 2019 लगायत 2022 तक 4 साल लगान 22 रुपये 80 पैसे व पेनल्टी के 22 रुपये 80 पैसे इस तरह कुल 45 रुपये 60 वसूल किया जावे। आयन्दा प्रति बीघा से लगान वसूल किया जावें पटवार हल्का को सूचना दी जावें कि लगान वसूल करे और मामान्तरण भरकर तस्दीक कराया जावे मुकदमा रजु फैसल हो। 21.09.1966।

गत खसरा नम्बर 1001 का रेगुलाईज कर वादी के नाम रेगुलाईज के आधार पर दिनांक 29/09/1966 को नामान्तरण स्वीकार कर भूमि किस्म बंजड अव्वल दर्ज कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज की। खातेदारी के पश्चात उक्त गत खसरा नम्बर 1001 से बने हाल नवीन खसरा नम्बर 4622 रकबा 0.18, 4623 रकबा 0.07, 4625/4945 रकबा 0.02 हैक्टेयर हैं, उक्त नवीन खसरा नम्बर मे से 4623 रकबा 0.07 हैक्टेयर भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड मे चाही अव्वल दर्ज की जानी थी परन्तु दौराने बन्दोबस्त राजस्व कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश खसरा नम्बर 4623 की किस्म खातली दर्ज कर दी जिसको वादी दुरुस्त कराकर किस्म चाही अव्वल का इन्द्राज कराने का कानूनन अधिकारी है। वाद ग्रस्त भूमि गत खसरा नम्बर 1001 के दौराने बन्दोबस्त नवीन खसरा नम्बर 4623 बना है उक्त खसरे की भूमि की किस्म कभी भी खातली राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही रही है अतः वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जावें कि खसरा नम्बर 4623 वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर की दर्ज भूमि किस्म खातली दुरुस्त किया जाकर के स्थान पर भूमि किस्म चाही अव्वल दर्ज किया जावें। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाकर इन्द्राज किया जावे।

— लगातार — पेज-3

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया। प्रतिवादी तहसीलदार सांगानेर ने उपस्थित होकर दिनांक 6/2/23 को जवाब पेश किया है जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के आराजी खसरा नम्बरान 4623 रकबा 0.07 है कि वर्तमान खातेदारी धासी पुत्र जगन्नाथ हिस्सा पूर्ण जाति माली सा० देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। बिन्दु संख्या 1 ला० 13 में अंकित तथ्यो के आधार पर प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 4623 रकबा 0.07 है, की किस्म खातनी के स्थान पर चाही अव्वल करवाना चाहता है। प्रकरण मे विषयक भूमि आराजी खसरा नम्बर 4623 रकबा 0.07 है० की किस्म हाल भू-प्रबन्ध सन् 1989-2009 के प्रारम्भ से ही खातनी दर्ज है जो कि भू-प्रबन्ध संक्रिया के दौरान सम्बन्धित विभाग द्वारा भूमि के तत्समय उपयोग तथा मौके की स्थिति/प्रकृति के आधार पर निर्धारित की जाती है ऐसी स्थिति में वादी का कथन स्वीकार किये जाने पर कोई पुष्ट आधार नहीं होने की अनुशंसा सहित जवाब प्रेषित है। उल्लेखनीय है कि प्रकरण में साबिक खसरा नम्बर 1001 रकबा 1 बीघा से नवीन बने अन्य खसरा नम्बर 4622 रकबा 0.18 है की भी मुदा किस्म खातनी दर्ज रिकार्ड है जिसकी वर्तमान खातेदारी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस मे दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वादी के वाद को डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने व वकील वादी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि जमाबन्दी बन्दोबस्त भू-प्रबन्ध विभाग सम्वत् 2015-2034 के खाता संख्या 557 मे ख०न० 1001 रकबा 1 बीघा सिंचायक किस्म बंजड अव्वल 1118 दर्ज रिकार्ड है उक्त खसरा नम्बर 1001 को रकबा 19 बिस्वा को वादी के पिता धासी पुत्र जगन्नाथ माली सांगानेर के नाम रेगुलाईज कर धासी की खातेदारी दर्ज कर सिंचायक खारिज किया गया तथा किस्म चाही अव्वल दिनांक 21/09/1966 के आदेश तहसीलदार सांगानेर द्वारा दिये गये थे। भू-प्रबन्ध विभाग मिलान क्षेत्रफल अवधि 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार गत खसरा नम्बर 1001 रकबा 1 बीघा के नये हाल ख०न० 4622 रकबा 0.18, 4623 रकबा 0.07 व 4625/4945 रकबा 0.02 कुल किता 3 कुल रकबा 27 हैक्टेयर बने है। उक्त नवीन खसरा नम्बर मे से 4623 रकबा 0.07

— लगातार पेज-4

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Scanned with CamScanner

हैक्टेयर किस्म चाही अव्वल को भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त के दौरान किस्म चाही अव्वल के स्थान पर किस्म खातनी गलत इन्द्राज कर दिया गया। जबकि बन्दोबस्त से पूर्व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे आराजी ख०न० 100) रकबा 1 बीघा) से बने हाल ख०न० 4623 रकबा 0.07 की किस्म चाही अव्वल दर्ज है जबकि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त से पूर्व राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज प्रविष्टि का ही अंकन करना चाहिए था। भू-प्रबन्ध विभाग को नवीन प्रविष्टि का इन्द्राज करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। अतः भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा बन्दोबस्त के दौरान ख०न० 4623 रकबा 0.07 हैक्टेयर किस्म चाही अव्वल के स्थान पर किस्म खातनी गलत इन्द्राज को धारा 136 राज० भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दुरुस्त करना उचित समझते है।

अतः आदेश दिये जाते है कि जमाबन्दी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या 372 खसरा नम्बर 4623 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज आराजी किस्म खातनी के स्थान पर किस्म चाही अव्वल दुरुस्त की जाती है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड हाल मे अंकन किया जावे। तहसीलदार सांगानेर उक्त निर्णय की पालना करने हेतु पत्र जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/9/2023 को खुले न्यायालय मे सरेआम सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय, सांगानेर)
जयपुर

[Seal: उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सांगानेर जयपुर (द्वितीय)]